प्रेस विज्ञप्ति थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर दिनांक 07.01.2023

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

विषय पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में घटित चोरी,लूट,अवैध शस्त्र की बरामदगी व वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गीडा के कुशल निर्देशन में 30नि0 आलोक राय चौकी प्रभारी पिपरौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर मय हमराह थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 014/2023 धारा 376,323 भादिव व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल गौड़ उर्फ हर्ष गौड़ पुत्र रिवन्दर गौड़ निवासी ग्राम धरमौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि उनके गाँव के ही राहुल गौड़ उर्फ हर्ष गौड़ पुत्र रिवन्दर गौड़ निवासी ग्राम धरमौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर द्वारा उनके घर मे घुसकर उनकी नातिनी के साथ बलात्कार किया तथा घर वालो द्वारा शिकायत करने पर अभियुक्त व उसके माता पिता द्वारा वादी मुकदमा के परिवार वालो से मारपीट किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 014/2023 धारा 376,323 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राहुल गौड़ उर्फ हर्ष गौड़ पुत्र रिवन्दर गौड़ निवासी ग्राम धरमौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 014/2023 धारा 376,323 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना गीडा गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टींम-

- 1. उ0नि0 आलोक कुमार राय चौकी प्रभारी पिपरौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर
- 2. का0 पंकज कनौजिया थाना गीडा जनपद गोरखपुर
- 3. का0 जय सिंह थाना गीडा जनपद गोरखपुर